

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, जिलाध्यक्ष ने पूर्व संध्या पर सफाई कर किया दीप प्रज्ज्वलित

श्रीभा नरवाडे, निखिलेश मिश्रा, दिव्यश्री
तिवारी, पार्षद बाबूलाल यादव, पार्षद
अरविंद मोर्चा सहित प्रदेश एवं जिला
पदाधिकारी, मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी
उपस्थित थे। श्री यति ने बताया कि भाजपा
के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, श्री यति
14 अप्रैल को प्रातः 10 बजे बाबा साहेब
डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बोर्ड
ऑफिस स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।
इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्रीगण,
सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं जिला
पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। श्री यति ने
बताया कि पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता
भोपाल के प्रत्येक मंडल के बुर्थों पर बाबा
साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सेवा
कार्य करेंगे।

का गोद भराई कर किया सम्मान

आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु श्रमदान करने हेतु प्रेरित भी किया। श्रीमती राय ने अविधान को गांव बस्ती चलो अधिधान के तहत आयोजित 07 दिवसीय स्वच्छता अधिधान में सम्मिलित होकर नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्र. 36 के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु श्रमदान भी किया और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु स्वच्छता की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहयोग करने व स्वच्छता कार्य हेतु श्रमदान करने हेतु आव्हान किया।

जगत की अवसर रैली निकाली गई एवं मिष्ठान वितरित की गई। इस अवसर पर महेंद्र यादव ने बताया कि हम सभी ने आज उनके जीवन और कार्यों को यादगार करते हुए श्रद्धांजलि दी हैं एवं विचारधारा और उनके योगदान पर चर्चा की है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की। इस अवसर गुरुनाक माण्डल के अध्यक्ष राकेश कुकुरेजा ने उनके प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रहा है। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महान व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को

संतनगर में बनाई 134 फीट रंगोली, जलाए 134 दीपक

बम्मन, अजय सर्वाया, कैलाश हिरवे,
मुकेश गांठे, गोलू राय, गोवर्धन अहिरवार
सहित यवा साथी उपस्थित हैं।

खरीदेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री केन्द्रीय मंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया है। वृहद स्तर पर एमओयू होने से आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुले हैं। सहकारिता मंत्रीविकास मंत्री कैलाश सांरंग ने कहा कि आज का दिन देश के सहकारी आंदोलन और श्वेत क्रांति के लिए ऐतिहासिक है। राज्य सरकार ने सहकारिता के साथ निजी व शासकीय भागीदारी को जोड़ते हुए सी.पी.पी.पी. के माध्यम से पहली बार देश में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारिता को नए आयाम प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने अनुबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। सांसद श्री बी.डी.शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने आज अनुबंध के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार को नई सौगात दी है। डेयरी विकास में गुजरता में किए विकास कार्य मध्यप्रदेश को नई गति प्रकाश करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक डॉ. निमेश शाह ने कहा कि एनडीडीबी, मध्यप्रदेश सरकार और 6 दुग्ध संघ के बीच सहकार्य अनुबंध (एमओयू) हो रहा है। राज्य सरकार ने संपत्ति बोर्ड के माध्यम से दूध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुबंध की सहमति प्रदान की है। इस अनुबंध से किसानों को प्रशिक्षण देना, दूध उत्पादों की मार्केटिंग सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी प्लान श्वेत

करेंगे। हालांकि बाद में कुछ युवक रैली में शामिल हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कछार के पुलिस प्रमुख नुमल महता ने कहा कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उचित बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि पहले रैली शांतिपूर्ण थी, लेकिन कुछ उपद्रवी रैली में घुस आए और कानून-व्यवस्था को समस्या पैदा करने की कोशिश की। हालांकि हमने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। करीब 300-400 लोग वक्कफ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। शांति भंग करने की कोशिश करने वाले सभी अपराधियों पर कानून के तहत आरोप लगाए जाएंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। साथ ही उन्होंने पथराव की निंदा करते हुए कहा कि हमने सिलचर में वक्कफ संशोधन अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण रैली आयोजित की। हम इस कानून का विरोध करते हैं क्योंकि यह इस्लाम विरोधी है। हम पथराव की घटना की निंदा करते हैं। हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं और पुलिस पर पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो हमें ख़ुशी होगी।

नवनिध में बच्चों ने नमन कर संविधान निर्माता अंबेडकर को किया याद

हाइस प्रिंसिपल रेखा केवलानी ने डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रिंसिपल मोटवानी को ने डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और सामाजिक न्याय का रक्षक बताया। उन्होंने छात्रों को डॉ. अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने और एक समान समाज बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं, नवनियमित स्कूल में अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई।

प्राचार्य अमृता मोटवानी ने अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों को जानकारी दी। उपप्राचार्य रेखा केवलानी ने विद्यालय की सुविधाओं और नवाचारों पर प्रकाश डाला। अभिभावकों ने विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली को सराहा। बैठक में विद्यालय और अभिभावकों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

कंवरराम साहिब के बताए मामा पर चलना चाहिए। इस अवसर पर, बाजपा मंडल के पूरु अग्र्यक्ष कमल वीथानी और ठाकुर दास मनवानी ने भी संकंवरराम साहिब जी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी भक्तों ने भगत कंवरराम साहिब की प्रतिमा पर माल और श्रद्धा के फूल चढ़ाए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कुमार दादलानी ने किया और गुरुद्वीश आसवानी ने आभा व्यक्त किया। इस अवसर पर माधव पारदासानी, राजकुमार पारदासानी, राजकुमार बाधदानी, वासदेव रामचंदानी, मुखली गुरुवानी, ईश्वर मनवानी, ओमप्रकाश आसवानी, राजकुमार थावानी, नरेश पेसवानी, महेश गुरुवानी, दयाल दोलतानी, रमेश मनवानी, गुरमुख ज्ञानचंदानी, दिलीप टहलरानी, जेठानं मूलचंदानी उपस्थित थे।

**In The Court Of VII Civil Judge
Class-I, District Court, Bhopal**
Presiding Officer : करनाल सिंह श्याम
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय
उत्तराधिकारी अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक
MJC SUC/0000036/2025
श्रीमती लक्ष्मी आवेदक VS
सर्वसाधारण अनावेदक
Process ID/2025

प्रेषित-1. सर्वसाधारण पता-भोपाल म.प्र.
2. आम जनता।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि
आवेदक श्रीमती लक्ष्मी पता नं मुक्त बस्
श्री राधेश्याम निवासी म.प्र. 24, शिंदनगर
कालोनी के पास करद भोपाल की राशि/
संपत्ति हेतु उसराधिकारी अथवा
अभिभावक/ संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र
प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में
आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक
13 May 2025 को नियत है। यदि किसी
व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त
मुक्त को उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/
संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये
जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण
में वह अपना हक सम्झना हो तो पेशी
दिनांक 13 May 2025 को न्यायालय में
सुप्य अथवा अधिकांश के माध्यम से
उपस्थित रहे। सूचना उपरान्त, यदि
अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई
एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का
निराकरण किया जायेगा। यह आज की राशि
8 April 2025 को रहे हस्ताक्षर से और
न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
कृपया ध्यान रहे: यदि किसी कारणवश
उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर
रहेगा तो आगामी कार्यदिन पर यह
प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

करनाल सिंह श्याम, न्यायाधीश
सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड
भोपाल (म.प्र.) 13